रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102021-230149 CG-DL-E-04102021-230149

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3732] No. 3732] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 4, 2021/आश्विन 12, 1943 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 4, 2021/ASVINA 12, 1943

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2021

सं. 34 / 2015-2020

विषय : सिरिंज की निर्यात नीति में संशोधन तथा नीतिगत शर्त का समावेश।

का.आ. 4066(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा—संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सिरिंज के निर्यात से संबंधित आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची—2 के अध्याय 90 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

# अनुसूची

| क्रम संख्या | आईटीसी एचएस कोड | विवरण                               | वर्तमान नीति | संशोधित नीति |
|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 207एडी      | 90183100        | सिरिंज सूई के साथ या बिना<br>सूई के | मुक्त        | प्रतिबंधित   |

## 2. इस अधिसूचना का प्रभावः

ऊपर निर्दिष्ट एचएस कोड के तहत अथवा किसी अन्य एचएस कोड के तहत आने वाली सिरिंज सूई के साथ या सूई के बिना के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी के तहत रखा गया है। सिरिंज के निर्यात के लिए आवेदन जमा करने और अनुमोदन की प्रकिया को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

[फा. सं. 01/91/180/005/एएम22/ईसी/ई-29234] अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

5616 GI/2021 (1)

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th October, 2021

No. 34/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Syringes and incorporation of Policy Condition.

**S.O.** 4066(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in the Chapter 90 of Schedule – 2 of ITC (HS) Export Policy, 2018 related to export of Syringes:

### **SCHEDULE**

| S. No. | ITC HS Codes | Description                      | <b>Existing Policy</b> | Revised Policy |
|--------|--------------|----------------------------------|------------------------|----------------|
| 207AD  | 90183100     | Syringes with or without Needles | Free                   | Restricted     |

#### 2. Effect of this Notification:

The export of Syringes with or without Needles falling under HS code specified above or falling under any other HS code has been put under 'Restricted' category with immediate effect. The procedure for submission and approval of application for export of syringes will be notified separately.

[F. No. 01/91/180/005/AM22/EC/E-29234]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.